संख्या-29/2022/2080653/118/2022/12-2002(002)/1/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 25 अप्रैल, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान अवधि (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 में कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी०ए०/०1/वित्तीय स्वीकृति 2022-23, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये अनुदान संख्या-11 में कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के व्यय को वहन करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 127690.74 लाख के सापेक्ष लेखानुदान अवधि (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए धनराशि रू0 42563.54 लाख (रूपये चार अरब पच्चीस करोड़ तिरसठ लाख चौवन हजार मात्र) को निम्नानुसार योजनावार/मदवार आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक		**प्राविधान 2022-23**	**लेखानुदान अवधि (अप्रैल,2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृति धनराशि**
2401-फसल कृषि कर्म	मतदेय	96917.94	32305.97
	भारित	20.00	6.67
2402-मृदा तथा जल संरक्षण	मतदेय	29766.45	9922.12
	भारित	0.00	0.00
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		986.35	328.78
कुल योग	मतदेय	127670.74	42556.87
	भारित	20.00	6.67
महायोग		127690.74	42563.54

(रूपये चार अरब पच्चीस करोड़ तिरसठ लाख चौवन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।

3- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फैंजिग के आधार पर सुनिश्चित की जाय। जहॉ तक संभव हो व्यय की फैंजिग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

4- व्यय प्रतिनिधानित अधिकारों की सीमा के अधीन ही किया जायेगा तथा जहॉ कहीं भी शासन की स्वीकृति व्यय हेतु आवश्यक हो उसे यथासमय प्राप्त कर लिया जाय और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय को सीमित रखा जाये।

5- समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों तथा व्यय बचत आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

6- कृषि विश्वविद्यालय हेतु व्यवस्थित धनराशि उनको आवंटित की जाय तथा अनुदान का देयक जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जायेगा, वह कुलपति और अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। इस देयक पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। कृषि विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति अनुदान की धनराशि को आहरण के उपरान्त कृषि निदेशक को सूचित करेंगे।

7- बी०एम०-13 के निर्धारित प्रपत्र पर मासिक व्यय विवरण समय से वित्त विभाग को उपलब्ध कराते हुए उसकी तीन प्रतियां शासन के कृषि अनुभाग-5 को उपलब्ध कराया जाय।

8- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 केकार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक मार्च 22, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, द्वितीय/प्रथम (आडिट /सिविल), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरप्रदेश, प्रयागराज।
5- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
6- कुलपति, संबंधित कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, कृषि अनुभाग-2/3 एवं कृषि शिक्षा अनुसंधान अनुभाग।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, उ०प्र० लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।